कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 1073 /14–1,दिनांक,अमरोहा,सितम्बर 30 2023,

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

विषय :– जनपद अमरोहा, में अमरोहा–कैलसा–पाकवडा मार्ग किमी0 चैनेज 3.950 की दांयी पटरी पर ग्राम पचौकरा महरवान अली, तहसील व जिला अमरोहा के खसरा सं0–118 में न्यू होटल विशाल फार्मस, के आवागमन हेतु 0.029312 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/Others/36498/2018 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/157/2023/एफ.सी./267 दिनांक 31.07.2023

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, में अमरोहा–कैलसा–पाकवडा मार्ग किमी0 चैनेज 3.950 की दांयी पटरी पर ग्राम पचौकरा महरवान अली, तहसील व जिला अमरोहा के खसरा सं0–118 में न्यू होटल विशाल फार्मस, के आवागमन हेतु 0.029312 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/Others/36498/2018 भारत सरकार से अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर कतिपय 03 बिन्दुओं की आपत्ति की गयी है। उक्त आपत्तियों पर क्षेत्रीय वनाधिकारी अमरोहा से स्थलीय जांच करायी गयी, क्षेत्रीय वनाधिकारी अमरोहा द्वारा पत्र संख्या 118/14–1, दिनांक 06.09.2023 से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तरालेख निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित किया जा रहा है :–

कसं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	As per the Google earth imagery dated 02.05.2020, the construction activity of the entry/exit side has been observed on the area proposed for diversion.	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य अपनी निजी भूमि में किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु लो0नि0 विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–एक)
2	As per the Google earth imagery dated 02.05.2020, the three gates has been observed for entry/exit purposes, but only two gate have been proposed for diversion. This needs clarification/ rectification.	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा अपनी निजी भूमि में आवागमन हेतु तीन गेट बनाये गये थे, प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा एक गेट को स्थाई रूप से बन्दर कर लिये जाने के कारण तीसरे गेट को प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु मौके का फोटोग्राफ संलग्न है।
3	State Govt will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Govt. of India. A report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Govt. on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and or 3B of FC Act as may be applicable. The State Govt should inform about the action taken under IFA. 1927.	प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य अपनी निजी भूमि में किया गया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी अमरोहा द्वारा अपने पत्र संख्या 118/14–1, दिनांक 06.09.2023 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार संरक्षित मार्ग पर कोई पक्का निर्माण न किये जाने के कारण किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

कृपया उक्त पत्र को अपने स्तर से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसा

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

D:\DRIVE E\Landtransfer\Private स्दकण्कवबग 539

सु० 2000

कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा

सं0– 2383/न्याय सहायक/2018

दिनांक: 20/07/2

विषय– श्री इन्दर सिंह, श्री वीर सिंह,श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व0चतर सिंह व श्रीमती चत पत्नी स्व0 चतर सिंह, निवासीगण ग्राम पचोकरा महरबान अली,तहसील अमरोहा उपरो को उ0प्र0रो0सा0लै0कं0 एक्ट–1945 की धारा–6 के अन्तर्गत अमरोहा–कैलसा–पाकब मार्ग (राज्य मार्ग–78)के चैनेज 3.950 पर स्थित भूमि पर अनावासीय भवन निर्माण अनापत्ति निर्गत किये जाने विषयक ।

श्री इन्दर सिंह, श्री वीर सिंह,श्री सतनाम सिंह पुत्र
स्व0चतर सिंह व श्रीमती चतरो पत्नी स्व0 चतर सिंह,
निवासीगण ग्राम पचोकरा महरबान अली,तहसील अमरोहा।

उपर्युक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र पर प्राप्त उपजिलाधिकारी–अमरोहा व अधिशा अभियन्ता, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग–अमरोहा की आख्या के आधार पर अमरोहा–कैलसा–पाकब मार्ग(राज्य मार्ग–78) के चैनेज 3.950 पर स्थित भूखण्ड पर अनावासीय भवन निर्माण की अनापत्ति उ0प्र0रो0साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट व जिलाधिकारी अमरोहा के अनुमोदन आदेश दिनांक 19.07.18 व अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन प्रदान की जाती है–

01– आपको प्रस्तुत किये गये मानचित्र में कोई अतिरिक्त भिन्नता करने की आज्ञा नहीं है ।

02– आपको विभाग की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करने की आज्ञा नहीं है ।

03– आपको पानी निकासी हेतु मार्ग के किनारे पक्की नाली का निर्माण अपने खर्चे पर करना होगा

04– आपको प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की मध्य रेखा से 75फीट(22.8 मीटर) की दूरी के बाहर कराना होगा ।

05– आपको इस अनापत्ति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, यदि प्रस्तावित निर्माण कार्य नगर पालिका/नगर पंचायत सीमा में है, तो भवन निर्माण से पूर्व इसकी आवश्यक निरापत्ति प्रमाण पत्र स्थानीय नगर पालिका/नगर पंचायत से प्राप्त करना होगा ।

06– अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य आरम्भ करना होगा ।

07– यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण होता है तो आप नियमानुसार भूमि के अधिग्रहण हेतु सहमत होगें।

08– सड़क की ओर खुले सुलेज की अनुमति नही दी जायेगी ।

09– पहुँच मार्ग का निर्माण इस प्रकार कराना होगा ताकि यातायात में कोई हस्तक्षेप न हो अथवा उसके विचलन से सड़क पर कोई खतरा न हो ।

10– कोई भी ऐसा निर्माण कार्य नही किया जायेगा जो जन साधारण को प्रभावित करता हो ।

11– उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में लागू होने वाली विधि व्यवस्था एवं शासनादेशों की पालन बाध्यकारी होगी ।

आपको यह अनापत्ति पूर्णतः उ0प्र0रोड साईड लैंड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत दी जा रही है एवं उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्ध/शर्त का उल्लंघन होने या प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद तथा अन्य किसी प्रकार से विवादित होने अथवा अन्य कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

संलग्नक– अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति

20.7.18

अपर जिलाधिकारी,
अमरोहा।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अमरोहा को उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।

अपर जिलाधिकारी,
अमरोहा।

GPS Map Camera
Amroha,UP,India
SH 78, Amroha, Amroha, 244221, UP, India
Lat 28.898172, Long 78.517489
10/02/2023 11:09 AM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera